न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी : श्री अजय कुमार आर्य, आर.ए.एस

निगरानी संख्या 94/2021

ठाकुर गज सिंह शेखावत आयु 62 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू हाल निवासी अलसीसर हवेली, संसारचन्द्र रोड़, जयपुर (राज0)। —निगरानीकार—

बनाम

1. सुरेन्द्र सिंह शेखावत आयु 63 वर्ष पुत्र स्वर्गीय ठाकुर श्री लादू सिंह शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 48/ए, रामनगर, शिव पथ, सोडाला, श्याम नगर जयपुर (राज0)।
2. नगेन्द्र सिंह शेखावत आयु 38 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 183, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर (राज0)।
3. हेमेन्द्र सिंह शेखावत आयु 34 वर्ष पुत्र स्वर्गीय राजेन्द्र सिंह शेखावत जाति राजपूत, निवासी ग्राम अलसीसर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनू हाल निवासी 183, बरकत नगर, टोंक फाटक जयपुर (राज0)।
4. सरपंच, ग्राम पंचायत अलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुन्झुनू।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अलसीसर, जिला अलसीसर, जिला झुन्झुनू।

—गैर निगरानीकारान—

निगरानी अन्तर्गत धारा 97, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 व राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत विरूद्ध ग्राम पंचायत अलसीसर, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुन्झुनू द्वारा जारी पट्टा संख्या 146 दिनांकित निल, मिसल संख्या 7/3 तारीख दायरा 20.12.2002 बहक सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री लादू सिंह शेखावत, नगेन्द्र सिंह व हेमेन्द्र सिंह पुत्रगण स्वर्गीय श्री राजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पंचायत अलसीसर, तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू के हक में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा जारी करने के विरूद्ध व नवीनीकरण दिनांक 20.09.2019।

उपस्थितिः—

1. श्री मो0 फारूक, एडवोकेट.....निगरानीकार की ओर से।
2. श्री भवानी सिंह, एडवोकेट.....गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 की ओर से।

—निर्णय— दिनांक : 17/4/25

पत्रावली पेश हुई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत अलसीसर में पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2002 को पेश किया गया जिस पर ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा मिसल संख्या 7/3 पट्टा संख्या 146 के द्वारा पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह पुत्र ठाकुर लादू सिंह के हक में सकंल्प संख्या 9 दिनांक 20.04.2003 के द्वारा धारा 157 पंचायत नियम के तहत 1663.84 वर्गगज का जारी कर दिया गया व बाद में दिनांक 20.09.2019 को फर्जकारी कर इसी नम्बर का दुसरा पट्टा गैर निगरानीकार नम्बर 1 लगायत 3 के हक में जारी कर उसका नवीनीकरण कर दिया गया जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा निम्न आधारों पर यह रिवीजन याचिका प्रस्तुत की गई है:–

1. गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिह के हक में जो पट्टा विलेख नम्बर 146 ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया है व दिनांक 20.09.2019 को सुरेन्द्र सिंह पुत्र लादु सिंह व हेमेन्द्र सिंह व नगेन्द्र सिंह पुत्रगण राजेन्द्र सिंह के हक में जारी कर नवीनीकरण किया गया वह पूर्णतया विधि के विपरित होने से निरस्तनीय है।
2. यह कि पंचायत द्वारा पंचायत नियमों की अनदेखी करते हुए पट्टा जारी किया गया है इसलिए भी उक्त पट्टा अपास्त कर निरस्तनीय है।
3. यह कि पट्टे के लिए पुराने गृहों का विनियमितिकरण का पट्टा प्राप्त करने के लिए गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 नरेन्द्र सिंह ने गलत रूप से आवेदन किया था जबकि उक्त गढ में गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह का कोई हक व हिस्सा नही था इन्होनें फर्जकारी कर गलत सूचना देकर उक्त पट्टा संख्या 146 जारी करवाया है क्योंकि अलसीसर गढ मय रावला नोहरा बाहर व अन्दर के मकानात का एकमात्र मालिक वर्तमान में निगरानीकार ठाकुर गज सिंह शेखावत है। निगरानीकार ठाकुर गज सिंह शेखावत कि पिता स्वर्गीय श्री ठाकुर अर्जुन सिंह जी ने जब जागिर रिज्यूम हुई तब सन् 1959 में सरकार द्वारा प्रत्येक जागीरदार से अपनी निजी सम्पति का ब्यौरा मांगा था तब तत्कालिन जागीरदार ठाकुर अर्जुन सिंह ने अपनी निजी सम्पति अलसीसर में गढ मय रावला नोहरा व अन्दर बाहर के मकानात आदि का ब्यौरा जागीर कमीशनर जयपुर को उपलब्ध करवा दिया था। दुसरे जागीरदार ठाकुर लादू सिंह ने उस समय अपनी निजी सम्पति का ब्यौरा जागीर कमीशनर जयपुर को उपलब्ध नही करवाया था क्योंकि उन्होने अपने हिस्से के मकानात, जमीन सुरजभान सिह पुत्र जयनारायण सिह व एक हिस्से को मोहन सिंह जो कि दक्षिण व पश्चिम में स्थित है को बेचान कर दिया था व दक्षिण में स्थित गढ

के कुछ कमरे रहने के लिए चुन्नी सिंह को बता दिये थे अतः सन् 1963 में जागीर कमीशनर जयपुर द्वारा एक फैसला दिया गया जिसमें अलसीसर में स्थित रावला नोहरा व अन्दर बाहर के मकानात को तत्कालिन जागीरदार ठाकुर अर्जुन सिह को अकेला वारिस मानते हुए व उनकी निजी सम्पति घोषित किया था इस प्रकार पूरा गढ उनका हो गया था व उपरोक्त सम्पति बाबत एक दावा संख्या 27(29) जे.सी. (पीपी)(झुन्झुनू) निजी सम्पति अलसीसर तहसील व जिला झुन्झुनू जागीरदार श्री अर्जुन सिंह पेश किया गया था जिस पर बईजलास श्री गोवर्धन सिंह , जागीर कमीशनर राजस्थान जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 05.11.1963 में अलसीसर में गढ मय रावला नोहरा व अन्दर एवं बाहर के मकानात जो आईटम नम्बर 1 के रूप में थे को जागिरदार स्वर्गीय ठाकुर अुर्जन सिंह जी की निजी सम्पति घोषित किया था। इस प्रकार गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने धोखाधड़ी व फर्जकारी कर पंचायत को मिथ्या सूचना देकर वादग्रस्त पट्टा संख्या 146 जारी करवाया है व दिनांक 20. 09.2019 को जारी हुए पट्टे इसी नम्बर का दुसरा पट्टा बनवाकर नवीनीकरण करवाया जो निरस्त होने योग्य है।

4. यह कि सन् 1999 में जब निगरानीकार ने गढ का जीर्णोद्वार प्रारम्भ करवाया तब उन्होने सर्वप्रथम ठाकुर लादु सिंह जी द्वारा गढ के पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित जमीनें सूरजभान सिंह व मोहन सिंह को बेचान की गई थी वो तमाम जमीन व मकानात निगरानीकार ने स्वयं के पैसे से वापस खरीदी वह स्वयं के हिस्से में शामिल की वह एक हिस्सा जो ठाकुर लादू सिंह ने चुन्नी सिंह जी को दिया वह हिस्सा भी निगरानीकार ने चुन्नी सिंह सिह के पुत्रगणों से आपसी सहमति से खाली करवाया तब जाकर गढ का जीर्णोद्वार शुरू किया गया। यह सम्पूर्ण कार्यवाही होने के पश्चात निगरानीकार ने ठाकुर लादु सिंह के पुत्रगणों से एक मौखिक समझौता किया जिसमें यह तय हुआ कि जो जमीन ठाकुर लादु सिंह ने चुन्नी सिंह को रहने के लिए दी थी जिसे निगरानीकार ने चुन्नीसिंह के पुत्रों से खाली करवाया उसमें 10 कमरों का एक ब्लॉक वह अपने खर्चे से बनाकर होटल संचालन के 10 वर्ष पश्चात ठाकुर लादु सिंह के पुत्रगण ठाकुर नरेन्द्र सिंह व गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को सम्भला देगें। वर्ष 2006 में निगरानीकार ने गढ में अलसीसर महल के नाम से होटल संचालन शुरू किया और वर्ष 2016 में होटल संचालन के 10 वर्ष पूर्ण होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को 10 कमरों का ब्लॉक सम्भला दिया। उक्त 10 कमरों का ब्लॉक देने के 6 माह बाद ही एक लिखावट पारिवारिक समझौता बाबत स्टाम्प पर अंकित करवाई गई जिसमें गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने 10 कमरों का ब्लॉक प्राप्त होना स्वीकार किया है साथ ही यह भी स्वीकार किया है कि मौखिक समझौते के अनुसार 10 कमरों का ब्लॉक निगरानीकार द्वारा 2 वर्ष अधिक अपने पास रखा जिसकी एवज में पारिवारिक समझौते में वर्णित खाली भूमि गैर निगरानीकार

संख्या 1 लगायत 3 ने निगरानीकार से प्राप्त कर ली है। यदि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को उक्त समय किसी बात पर आपत्ति होती तो पारिवारिक समझौता की लिखावट पर अपने हस्ताक्षर नही करते और उक्त पारिवारिक समझौते के अनुसार ही निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने जो पुराने पट्टे ग्राम पंचायत अलसीसर से बनवाये थे उनको सरेण्डर कर पारिवारिक समझौते में वर्णितानुसार पट्टा बनाने का अंकन किया है। निगरानीकार के नाम से सन् 2002–03 में पट्टा संख्या 140 ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया था जो पट्टा त्रुटिपूर्ण होने के कारण निगरानीकार द्वारा लेने से इन्कार कर दिया गया वह पट्टा संख्या 146 सन् 2002–03 में गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी हुआ व उसी वर्ष पट्टा संख्या 146 ठाकुर नरेन्द्र सिंह व गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी हुआ जिसे गैर निगरानीकारान द्वारा ग्राम पंचायत में सरेण्डर नही किया। इसके पश्चात निगरानीकार द्वारा गढ के पश्चिम व दक्षिण, उतर में भी गढ से लगती जमीन आस–पड़ौस वालों से खरीदी थी उक्त सभी जमीनें क्रय करने पर ही पट्टा बनाने का मन निगरानीकार ने बना रखा था।

5. यह कि ग्राम पंचायत अलसीसर ने निगरानीकार की भूमि का गलत रूप से संकल्प संख्या 9 दिनांक 20.04.2003 को लेकर गलत रूप से पट्टा जारी किया है क्योंकि उक्त भूमि न तो गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह की थी और न ही उन्होनें अपने स्वामित्व बाबत कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत अलसीसर के समक्ष प्रस्तुत किये। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा बिना दस्तावेज देखे ही गलत रूप से पट्टा संख्या 146 जारी कर दिया गया व बाद में दिनांक 20.09.2019 को फर्जकारी कर मात्र गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में पुनः इसी नम्बर का पट्टा जारी कर नवीनीकरण किया गया जो कि निरस्त होने योग्य है।
6. यह कि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह के हक में पट्टा जारी किये जाने से पूर्व आपत्तियां ग्रामवासियों द्वारा प्रस्तुत की गई परन्तु उन आपत्तियों का निस्तारण ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा पत्रावली की कार्यवाही विवरण में नही लिया गया है एवं मनमाने ढंग से बिना आपत्तियों का निस्तारण किये ही बाला–बाला पट्टा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह के हक में जारी कर दिया गया व पुनः इसी नम्बर के पट्टे का नवीनीकरण नरेन्द्र सिंह को छोड़कर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त किये जाने योग्य है।
7. यह कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 के नियम 1 (1) के अनुसार ग्राम पंचायत मात्र 300 वर्गगज आबादी भूमि का ही पट्टा जारी कर सकती है उससे अधिक का पट्टा जारी नही कर सकती है। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह के हक में पट्टा संख्या 146 –

1663.84 वर्गगज का जारी कर दिया व दिनांक 20.09.2019 को पुनः इसी पट्टे का दुबारा नवीनीकरण कर जारी कर दिया गया जिसका उसे कोई हक व अधिकार नही था।

8. यह कि ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा न तो निगरानीकार का कोई नोटिस जारी किया गया है और न ही निगरानीकार को सुना गया है बिना निगरानीकार को सुने उसके स्वामित्व आधिपत्य की भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 व नरेन्द्र सिंह के हक में जारी कर दिया गया व दिनांक 20.09.2019 को पुनः इसी नम्बर का दुसरा पट्टा जारी कर नवीनीकरण कर दिया गया। इसलिए भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।
9. यह कि ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा कोई मौका निरीक्षण कभी नही किया गया क्योंकि जिस समय पट्टा जारी किया गया है उस समय पट्टे पर दी गई भूमि बाकायदा निगरानीकार के कब्जे में थी व निगरानीकार का ही स्वामित्व उस पर था। इस कारण भी पट्टा संख्या 146 व पुनः नवीनीकृत पट्टा संख्या 146 निरस्त होने योग्य है।
10. यह कि ग्राम पंचायत अलसीसर की पट्टा संख्या 146 की पत्रावली की आदेशिकाएं व पट्टा संख्या 146 व पुनः जारी पट्टा नम्बर 146 मय नवीनीकरण आपस में मेल नही खाते है और न ही उन पर अधिकृत व्यक्तियों के हस्ताक्षर है इस कारण पट्टा संख्या 146 निरस्त होने योग्य है।
11. यह कि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने द्वितीय नक्श अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किया उसमें उक्त 43.84 वर्गगज भूमि निगरानीकार के स्वामित्व आधिपत्य की दर्शाई गई है फिर भी उस भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी करने की कानूनी भूल की है। इस कारण भी उक्त पट्टा संख्या 146 निरस्त होने योग्य है।
12. यह कि दिनांक 16.09.2018 से लगभग 6 माह पूर्व निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के मध्य आपस में आपसी सहमति व रजामन्दी से अलसीसर गढ जो वर्तमान में अलसीसर महल है के बाबत एक पारिवारिक समझौता हुआ जिसे बाद में दिनांक 16.09.2018 को लिखा गया। पूर्व में हुए समझौते के अनुसार द्वितीय पक्ष गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को 10 कमरों का एक ब्लॉक जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर तीन कमरें, प्रथम फ्लोर पर 6 कमरें तथा सैकेण्ड फ्लोर पर 1 कमरा दिया गया व उसका कब्जा भी दिनांक 01.04.2018 को दिया गया था। इस प्रकार ग्राम पंचायत अलसीसर को मुगालते में रखकर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने दिनांक 20.09.2019 को नवीनीकृत पट्टा गलत सूचना देकर व पारिवारिक समझौते के विरूद्ध जाकर गलत रूप से पट्टा नवीनीकृत करवाया। इस कारण उक्त पट्टा संख्या 146 व पुनः जारी नवीनीकृत पट्टा संख्या 146 निरस्त होने योग्य है।

अतिरिक्त

13. यह कि राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के अनुसार पुरानें मकानों के नवीनीकरण का पट्टा पंचायत द्वारा कब्जे के आधार पर ही दिया जा सकता है परन्तु ग्राम पंचायत अलसीसर ने उक्त तथ्यों को नजरअदांज करते हुए पट्टा संख्या 146 व पुनः जारी नवीनीकृत पट्टा संख्या 146 गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी किया गया है क्योंकि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को 10 कमरों जिसमें ग्राउण्ड फ्लोर पर 3, प्रथम फ्लोर पर 6 तथा सेकेण्ड फ्लोर पर 1 कमरें का कब्जा दिया गया और वह भी दिनांक 01.04.2018 को दिया गया व बाद में दिनांक 16.09.2028 को इसी अनुसार पारिवारिक समझौता तथा विभाजन पत्र लिखा गया। इस तथ्य को भी ग्राम पंचायत अलसीसर ने नजरअदांज किया। इस कारण भी उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।
14. यह कि वर्ष 2019 गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 ने चालाकीपूर्ण तरीके से पटटा संख्या 146 को ग्राम पंचायत अलसीसर से नवीनीकरण करवा लिया जबकि इनकों इस पट्टे को सरेण्डर करके ग्राम पंचायत अलसीसर से संशोधित पट्टा प्राप्त करना चाहिए था। पट्टा संख्या 146 नवीनीकरण करवाने की जानकारी न तो निगरानीकार को दी गई तथा न ही ग्राम पंचायत अलसीसर को दी गई। तथा निगरानीकार से किसी प्रकार की ए.नो.सी आदि भी प्राप्त नही की गई। गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 द्वारा जब दो ब्लू प्रिन्ट मय पट्टा नवीनीकरण के साथ तहसीलदार मलसीसर द्वारा पट्टा रजिस्टर्ड तो किया गया लेकिन उनके साथ प्रस्तुत दो ब्लू प्रिन्ट में से एक ब्लू प्रिन्ट में 43.84 वर्गगज भूमि निगरानीकार की होना प्रतीत होने पर तहसीलदार मलसीसर द्वारा ब्लू प्रिंट तसदीक नही किया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 द्वारा धोखाधड़ी करके पट्टा संख्या 146 का नवीनीकरण करवाया गया है। ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में पट्टा जारी करने में पंचायत नियमों की कतई पालना नही की गई है अर्थात पंचायत नियमों की अनदेखी कर पट्टा जारी किया गया है इसलिए भी गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी किया गया पट्टा निरस्त होने योग्य है।
15. यह कि दिनांक 21.08.2019 को निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत अलसीसर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा संख्या 140 व 146 को निरस्त कर पारिवारिक समझौते के अनुसार निगरानीकार व गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में नये पट्टे जारी करने बाबत निवेदन किया गया। परन्तु ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्यवाही नही की गई है।
16. यह कि गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के हक में जारी पट्टे की निगरानीकार को पूर्व में जानकारी नही थी। माननीय न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 द्वारा रिविजन पेश करने के बाद दिनांक 14.09.2020 को पट्टा संख्या

146 के बाबत निगरानीकार को जानकारी हुई जिस पर निगरानीकार ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उक्त पट्टा पत्रावली की नकल प्राप्त की। नकल प्राप्त होने पर निगरानीकार द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी स्वीकार कर पट्टा संख्या 146 दिनांकित निल मिसल संख्या 7/3, दिनांक 20.12.2002 बहक गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3, ग्राम पंचायत अलसीसर जिला झुन्झुनू को निरस्त फरमाया जावे।

निगरानी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 5 को नोटिस भेजकर तामील की गई। रिकार्ड ग्राम पंचायत अलसीसर तलब किया जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई। गैर निगरानीकार संख्या 4 लगायत 5 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 को बार–बार अन्तिम अवसर दिये जाने के बावजूद अनुपस्थित रहने के कारण प्रकरण में बहस एक पक्षीय सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी के तथ्यों हुए कथन किया कि सन् 1963 में जागीर कमीशनर राजस्थान जयपुर ने विवादित उक्त सम्पूर्ण भूमि व मकानात को तत्कालिन जागीरदार ठाकुर अर्जुन सिंह को अकेला वारिस माना तथा अपने फैसले में सम्पूर्ण भूमि व मकानात का ठाकुर अर्जुन सिंह की निजी सम्पति बताया है। इस प्रकार उक्त सम्पूर्ण भूमि व मकानात आदि निगरानीकार के पिता ठाकुर श्री अर्जुन सिंह की निजी सम्पति थी। जो ठाकुर अर्जुन की मृत्यु के बाद उनके जायज वारिस ठाकुर गज सिंह शेखावत के हक हिस्से में आई। जिस पर निगरानीकार काबिज है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत अलसीसर ने राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों की अनदेखी करते हुए गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम से 1663.84 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया जबकि ग्राम पंचायत को अधिकतम 300 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी करने का ही अधिकार है। अतः निगरानी स्वीकार कर गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम से जारी पट्टा संख्या 146 दिनांक 20.09.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

हमने विद्वान अधिवक्ता निगरानीकार की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा सन् 1963 में जागीर कमीशनर राजस्थान जयपुर द्वारा पारित फैसले की प्रतिलिपि निगरानी के साथ सलंग्न किया गया है। जिसमें जागीर कमीशनर राजस्थान जयपुर ने विवादित उक्त सम्पूर्ण भूमि व मकानात को तत्कालिन जागीरदार ठाकुर अर्जुन सिंह को अकेला वारिस माना तथा अपने फैसले में सम्पूर्ण भूमि व मकानात का ठाकुर अर्जुन सिंह की निजी सम्पति बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम प्रकरण को राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 में प्रदत्त प्रावधानों के आलौक में निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण में ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम से जारी पट्टा संख्या 146 दिनांकित 20.09.2019 को को निरस्त किया जाना उचित समझते है।

अतः निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा गैर निगरानीकार संख्या 1 लगायत 3 के नाम से जारी पट्टा संख्या 146 दिनांकित 20. 09.2019 को निरस्त किया जाता है। रिकार्ड ग्राम पंचायत अलसीसर फैसले की प्रति सहित आगामी कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत अलसीसर को भिजवाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17/4/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अजय कुमार आर्य),
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनू।